# कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो/2011–12/ 1175/ दिनांकः 03/XI/11

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– **देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011–12 में आवेदन कराने बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धोषणा की पालनार्थ राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक लाने व राजकीय महाविद्यालयों में डिग्री प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रतिशत वरीयता के आधार पर प्रथम 500 छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेगी । इसी प्रकार विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् रहकर डिग्री प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाली और स्नातकोत्तर प्रथम में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जावेगी । इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । आवेदन पत्र के साथ, छात्रा के द्वारा प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद, जाति प्रमाण पत्र (विशेष पिछडा वर्ग), मूल निवास प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), गत परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक अंकतालिका, आदि की प्रमाणित फोटोप्रतियां, माता–पिता/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना नहीं हो) तथा छात्रा का एस.बी.बी.जे. का बैंक खाता पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(1) छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर मय दस्तावेजो सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि **25–11–2011** तथा प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच एवं प्रमाणित कर निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में जमा कराने की अंतिम तिथि **30–11–2011** है ।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः 20(101)/105 आयो/निकाशि/2011–12/1247 दिनांकः 12–7–2011 के द्वारा भी आपसे आवेदन मय दस्तावेज चाहे गये थे जो आपने या तो भिजवाये नहीं है या फिर अपूर्ण भिजवाये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्ण सूचना/दस्तावेजो के साथ पुनः आवेदन करवाकर भिजवायें । आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट http/ www. collegeeducation.gov.in पर उपलब्ध है ।

**संलग्नः– आवेदन पत्र**

**निदेशक**
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो/2011–12/1176–1183 दिनांकः 03/11/2011
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (देव.यो.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
7. संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकरे लेख है कि महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर शीध्र कार्यवाही करावें ।
8. श्री देवर्षि जी को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

**संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)**
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर

राजस्थान सरकार

# निदेशालय,कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण / प्रोत्साहन राशि योजना हेतु आवेदन पत्र
(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए)
वर्ष 20.............

छात्रा का फोटो मय स्वयं के हस्ताक्षर एवं संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जावें

1. छात्रा का नाम :– ................................................................
2. पिता का नाम :– ................................................................
3. जाति :– ................................................................
   (तहसीलदार द्वारा प्रदत प्रमाण–पत्र संलग्न करें )
4. पत्र व्यवहार का पता :– ................................................................
   ................................................................
   ................................................................
5. स्थायी पता :– ................................................................
   ................................................................
   ................................................................
   ................................................................
   फोन नम्बर ..............................................पिता का मो.न. ..............................................
6. मूल निवास स्थान :– ................................................................
   (तहसीलदार द्वारा प्रदत प्रमाण–पत्र संलग्न करें )
7. अध्ययनरत कक्षा व संकाय :– ................................................................
   (एडमिशन हेतु फीस जमा रसीद की फोटो प्रति संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर कर संलग्न की जावें) :–
8. अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता :– ................................................................
   ................................................................
9. गत परीक्षा (वर्ष 20...... में ) उत्त्तीर्ण का पूर्ण विवरण :–

| परीक्षा वर्ष | कक्षा व रोल नम्बर | विषय | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत | विद्यालय का नाम जहॉ अध्ययन किया | शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

   (अकं तालिका की फोटो प्रति संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर संलग्न करें )
10. पिता का व्यवसाय :– ................................................................
11. पिता की वार्षिक आय :– ................................................................
    (प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)
12. छात्रा का बैंक खाता संख्या (एस.बी.बी.जे.) एवं बैंक का पूर्ण पता :–..............................................
    ................................................................
13. राज्य सरकार / भारत सरकार से कोई अन्य छात्रवृति / आर्थिक सहायता मिल रही हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित करे :–

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कालम 1 से 13 तक में अंकित की गयी समस्त सूचनाए पूर्णतया सही है।यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं अविवाहित छात्रा हूँ तथा पूर्णतया पिता पर आश्रित हूँ।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र / दस्तावेज की सूची

हस्ताक्षर छात्रा

# पिता का धोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी ................................................ राजकीय महाविद्यालय ..................................................... की कक्षा ................................ में वर्ष 20.......... के लिए एडमिशन लेकर नियमित अध्ययनरत है । छात्रा अविवाहित है और पूर्णतया मेरे पर आश्रित है । मेरी समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रू. ......................... (रू. ........................................................ ) है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है ।

हस्ताक्षर पिता / अभिभावक
(पिता नहीं होने की स्थिति में ही
अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किये जावे)

# संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा ................................................ पुत्री श्री .................................... ने वर्ष 20...... के लिए इस महाविद्यालय की कक्षा ................................ संकाय .............................. में दिनांकः ........................... को एडमिशन लेकर नियमित अध्ययनरत है । छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया गया विवरण कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पूर्णतया सही है । छात्रा को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कूटी / प्रोत्साहन राशि / आर्थिक सहायता के लिए अभिशंषा की जाती है ।

दिनांकः

हस्ताक्षर संस्था प्रधान / प्राचार्य
दिनांकः ..........................
पद मुहर अंकित की जावें ।